

म.प्र./छ.ग. विशेष सशस्त्र बल

अधिनियम, 1968

[M.P./C.G. SPECIAL ARMED FORCE ACT, 1968]

(1968 का अधिनियम संख्यांक 29)

[25 नवम्बर, 1968]

विषय-सूची

धाराएँ

- | | |
|--|---|
| 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रयुक्ति । | 5. आदेशक (कमान्डेन्ट), उप-आदेशक, सहायक आदेशक तथा एड्जुटेन्ट की नियुक्ति । |
| 2. परिभाषाएँ । | 6. अधिसूचना के अन्तर्गत जिला पुलिस बल को कतिपय शक्तियाँ प्रदान करना । |
| 3. मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल का गठन । | 7. भर्ती । |
| 4. विशेष सशस्त्र बल का अधीक्षण, नियंत्रण तथा प्रशासन । | |

धाराएँ

8. विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और दायित्व वही होंगे जो कि पुलिस अधिकारी के होते हैं।
9. स्थानान्तरण।
10. विशेष सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण-पत्र देना और ऐसे प्रमाण-पत्र कब वापस लौटाए जाएंगे।
11. आदेशक या उप-आदेशक की सामान्य शक्तियाँ।
12. विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों के सामान्य कर्तव्य।
13. विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी पुलिस स्टेशन का प्रभारी माना जाएगा और वे परिस्थितियाँ, जिनके अन्तर्गत विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी बल प्रयोग करने का हकदार होगा।
14. उपबन्धों के विपरीत पद त्याग देने से संबंधित अपराध।
15. नियुक्ति आदि का प्रमाण-पत्र लौटाने से इन्कार करने से संबंधित अपराध।
16. अधिक जघन्य अपराध।
17. कम जघन्य अपराध।

धाराएँ

18. विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी जो कमान में हो, अपने प्रभार के विशेष बल के किसी अधिकारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किए जाने की सूचना देगा।
 19. कारावास का स्थान और कारावास होने पर पदच्युत कर दिया जाना।
 20. असंतोष आदि फैलाने पर शास्ति (दण्ड)।
 21. गौण दण्ड (मायनर पनिशमेंट)।
 22. प्रयास।
 23. उकसाना।
 - 23-क. अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगे।
 24. अपराध का संज्ञान।
 - 24-क. अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगे।
 25. अन्य विधियों के अन्तर्गत अभियोजन संबंधी अपवाद।
 26. बल के सदस्यों के कार्य के लिए संरक्षण।
 27. नियम बनाने की शक्ति।
 28. कठिनाइयाँ दूर करना।
 29. निरसन।
- अनुसूची-1
अनुसूची-2

मध्यप्रदेश में विशेष सशस्त्र बल के गठन तथा विनियमन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

(दिनांक 25 नवम्बर, 1968 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र' (असाधारण) में, दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 को प्रथम बार प्रकाशित की गई है।)

भारत गणराज्य के उनीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रयुक्ति** -- (1) यह अधिनियम म.प्र. विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968 कहलाएगा।
 (2) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
 (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा नियत करे।
 (4) यह मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों पर, जहाँ कहीं भी वे हों, लागू होगा।
2. **परिभाषाएँ** -- इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) “क्षेत्रीय कर्तव्य” (एकिटव इयूटी) से आशय --

- (1) शान्ति भंग करने या जान-माल को खतरा पहुँचाने संबंधी अपराधों को रोकने या उनकी जांच पड़ताल करने और ऐसे अपराध से संबंधित व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों का, जो इतने निराशोन्मत तथा खतरनाक हों कि जिनका स्वतंत्र रहना समाज के लिए भयावह हो, पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने संबंधी कर्तव्य से;
 - (2) आग बुझाने के लिए सभी समुचित उपाय करने या आग, बाढ़, भूकम्प, शत्रुओं के आक्रमण या दंगे जैसी घटनाओं के समय व्यक्ति या सम्पत्ति को हानि से बचाने पर ऐसे अवसरों पर शांति स्थापित करने तथा व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कर्तव्य से; और
 - (3) ऐसे अन्य कर्तव्य हैं, जो धारा 12 के अन्तर्गत दिए गए निर्देश में राज्य शासन या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट किया जाए;
- (ख) “परिक्षेत्रीय अधिकारी” (जोनल ऑफिसर), “आदेशक” (कमान्डेन्ट), [¹“उप-आदेशक”] (डिप्टी कमान्डेन्ट), “सहायक आदेशक” (असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट) और “एड्जुटेन्ट” से आशय धारा 5 के अन्तर्गत उक्त पदों पर उक्त रूप में राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से है;
- (ग) “अनुचर” (फालोअर) से आशय विशेष सशस्त्र बल के संबंध में रसोइया, भोजनालय-सेवक, धोबी, मोची, नाई, दर्जी, भंगी का कार्य करने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति या इस रूप में नियुक्त अन्य कोई धंधा करने वाले व्यक्ति से है;
- (घ) “महानिरीक्षक” से आशय पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश से है;
- (ङ) “अधीनस्थ ओहदे” (सबऑफिसिनेट रेंक) के सदस्यों से आशय विशेष सशस्त्र बल के ऐसे सदस्यों से है, जिनका ओहदा एड्जुटेन्ट या सहायक आदेशक से कम हो;
- (च) “विशेष सशस्त्र बल के अधिकारी” से आशय विशेष सशस्त्र बल के सदस्य से है;
- (छ) “पुलिस अधिकारी” से आशय पुलिस अधिनियम, 1861 (क्रमांक 5 सन् 1861) में यथा-परिभाषित प्रत्येक पुलिस अधिकारी से है;
- (ज) “विशेष सशस्त्र बल” से आशय धारा 3 के अन्तर्गत गठित मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल से है;
- (झ) विशेष सशस्त्र बल के किसी भी अधिकारी के संबंध में “प्रकृष्ट अधिकारी” (सुपीरियर ऑफिसर) से आशय विशेष सशस्त्र बल के ऐसे किसी भी अधिकारी से है, जो उससे ऊँचे ओहदे का हो या उसी वर्ग से उच्च श्रेणी का हो या उसी के ओहदे का हो किन्तु उसके वरिष्ठ हो;
- (ञ) इसमें प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) और पुलिस अधिनियम, 1861 (क्रमांक 5 सन् 1861), में परिभाषित हो और इसके पहले इसमें जिनकी परिभाषा न दी गई हो, वही अर्थ होगा, जो उन्हें उक्त अधिनियमितियों में क्रमशः दिया गया हो।

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 28 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल का गठन -- (1) पुलिस अधिनियम, 1861 (क्रमांक 5 सन् 1861) के अन्तर्गत गठित पुलिस बल के अतिरिक्त राज्य शासन मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल नामक एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल का गठन कर सकेगा और बनाए रख सकेगा।

(2) विशेष सशस्त्र बल ऐसे कर्मचारी वर्ग से गठित किया जाएगा और ऐसी रीति में बनाए रखा जाएगा, जैसी कि विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों का वेतन, निवृत्ति वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो कि राज्य शासन द्वारा अवधारित की जाएँ :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, भारतीय पुलिस या भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे सदस्यों के वेतन, निवृत्ति वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में लागू नहीं होगी, जो विशेष सशस्त्र बल में स्थानान्तरित किए जाएँ।

(4) राज्य शासन या इस संबंध में शासन द्वारा शक्ति प्राप्त कोई भी अधिकारी --

(क) विशेष सशस्त्र बल को दलों में विभक्त कर सकेगा।

(ख) प्रत्येक दल को बटालियनों से और प्रत्येक बटालियन को कम्पनियों में तथा प्रत्येक कम्पनी को प्लाटूनों में और प्लाटूनों के अनुभागों (सेक्शन्स) या छोटी-छोटी यूनिटों में विभक्त कर सकेगा।

(ग) किसी भी दल को बटालियन, कम्पनी, प्लाटून, अनुभाग या छोटी सब यूनिट को ऐसे स्थानों में नियुक्त (पोस्ट) कर सकेगा जो राज्य शासन या उक्त अधिकारी को उचित प्रतीत हो।

4. विशेष सशस्त्र बल का अधीक्षण, नियंत्रण तथा प्रशासन -- विशेष सशस्त्र बल का अधीक्षण, नियंत्रण तथा प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अनुसार, महानिरीक्षक में तथा ऐसे उप-महानिरीक्षकों में जिन्हें की राज्य शासन इस संबंध में प्राधिकृत करे, निहित होगा।

5. आदेशक (कमान्डेन्ट), ¹[उप-आदेशक], सहायक आदेशक तथा एड्जुटेन्ट की नियुक्ति -- (1) राज्य शासन दल के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को परिक्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जिसका ओहदा प्रत्येक सहायक पुलिस महानिरीक्षक के ओहदे से कम न हो।

(2) राज्य शासन प्रत्येक बटालियन के लिए आदेशक ¹[या उप-आदेशक या दोनों] के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो कि पुलिस अधीक्षक का पद धारण करने के लिए पात्र हो और एक या अधिक सहायक आदेशक तथा एड्जुटेन्ट ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो कि सहायक या उप-अधीक्षक के पद धारण करने के लिए पात्र हो।

(3) पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस सहायक महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय अधिकारी, आदेशक, ¹[उप-आदेशक], सहायक आदेशक तथा एड्जुटेन्ट ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार प्रयोग ला सकेंगे जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए जाएँ।

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 28 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।

6. अधिसूचना के अन्तर्गत जिला पुलिस को कतिपय शक्तियाँ प्रदान करना -- राज्य शासन एक अधिसूचना द्वारा जिला पुलिस बल के ऐसे ओहदे वाले पुलिस अधिकारी को उसके कार्य नियंत्रण में तथा ऐसे जिलों में कार्य करने वाले विशेष सशस्त्र बल के कर्मचारियों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी अनुशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दे सकेगा जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट हो :

परन्तु ऐसे पुलिस अधिकारी का ओहदा विशेष सशस्त्र बल के उस अधिकारी के ओहदे से ऊँचा होना चाहिए जो कि उस विशेष सशस्त्र बल के कर्मचारियों का प्रभारी हो ।

7. भर्ती -- (1) किसी भी व्यक्ति की विशेष सशस्त्र बल में किसी अधिकारी के पद पर नियुक्ति होने पर, उसके कार्यभार संभालने के पहले, अनुसूची एक के फॉर्म में दी गई घोषणा पढ़कर उसे सुनाई जाएगी और यदि वह इच्छा प्रकट करे तो परिक्षेत्रीय अधिकारी या आदेशक या ¹[उप-आदेशक] या सहायक आदेशक या एड्जुटेन्ट या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में उसे समझा दी जाएगी जो कि सहायक अधीक्षक या उपअधीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो और इस प्रकार उसे पढ़कर सुना दिया, समझा दिए जाने और उसके द्वारा उसमें निर्धारित शर्तों के पालन का वचन दिए जाने के प्रतीक स्वरूप वह उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, वह घोषणा यथास्थिति में ऐसे परिक्षेत्रीय अधिकारी, आदेशक, ¹[उप-आदेशक], सहायक आदेशक, एड्जुटेन्ट या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिप्रामाणित की जाएगी ।

(2) विशेष सशस्त्र बल का कोई भी अधिकारी उपधारा (1) के अन्तर्गत उसके द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा के, निबन्धनों के अनुसार ही अपना पद त्याग सकेगा, अन्यथा नहीं ।

(3). यदि विशेष सशस्त्र बल का कोई भी अधिकारी इस धारा का उल्लंघन करते हुए अपना पद त्याग देता है तो वह इस अधिनियम या इस समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा लगाई शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिक्षेत्रीय अधिकारी या आदेशक या ¹[उप-आदेशक] होने पर, उस समय उसे देय वेतन की सभी बकाया रकम पाने से वंचित किया जा सकेगा ।

8. विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और दायित्व वही होंगे जो कि पुलिस अधिकारी के होते हैं -- (1) धारा 14 से 21 के उपबंधों के अधीन विशेष सशस्त्र बल का प्रत्येक सदस्य, उसकी नियुक्ति हो जाने पर और उसके सदस्य बने रहने की अवधि तक पुलिस अधिकारी माना जावेगा और निर्धारित किए जाने वाले निबन्धनों, शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन जहाँ तक कि वे इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से असंगत न हों, उसे वे सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार, दायित्व, शास्ति (दण्ड) और संरक्षण प्राप्त होंगे और वह उनके अधीन रहेगा, जो कि यथाविधि नामांकित (एनरोल्ड) पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिनियम, 1861 (क्रमांक 5 सन् 1861) या उस समय लागू किसी अन्य विधि या उसके अन्तर्गत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के सामर्थ्य से प्राप्त हो या जिनके अधीन वह हो ।

(2) राज्य शासन विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों के पद नाम रख सकेगा, जो कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए और सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी पुलिस अधिकारियों के विभिन्न ओहदों के समकक्ष माने जाएंगे ।

9. स्थानान्तरण -- (1) इस अधिनियम या पुलिस अधिनियम, 1861 (क्रमांक 5 सन् 1861) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन या महानिरीक्षक, यदि इस संबंध में उसे राज्य शासन द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, पुलिस अधिनियम, 1861 (क्रमांक 5 सन् 1861) के अन्तर्गत

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 28 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित ।

नियुक्त पुलिस बल के सदस्यों का स्थानान्तरण विशेष सशस्त्र बल में और विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों का स्थानान्तरण पुलिस बल में करने के लिए सक्षम होगा।

(2) पुलिस अधिनियम, 1861 (क्रमांक 5 सन् 1861) के अन्तर्गत नियुक्त पुलिस बल के किसी सदस्य का स्थानान्तरण विशेष सशस्त्र बल से या इसके विपरीत (vice versa) किया जाने पर उसे यथास्थिति, उसे विशेष सशस्त्र बल या पुलिस बल का सदस्य माना जाएगा, जहाँ कि उसे, स्थानान्तरित किया गया हो और अपने कार्यों को सम्पादित करते समय उसमें राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले आदेशों के अधीन यथास्थिति विशेष सशस्त्र बल या पुलिस बल की ऐसी श्रेणी के सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार निहित माने जाएंगे और उस श्रेणी के दायित्वों के अधीन माना जाएगा, जिसमें कि वह आदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार स्थानान्तरित किया गया हो।

10. विशेष सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण-पत्र देना और ऐसे प्रमाण-पत्र कब वापस लौटाए जाएंगे -- (1) विशेष सशस्त्र बल का ऐसी श्रेणी से जो कि राज्य शासन द्वारा उल्लिखित की जाए निम्न श्रेणी का प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति होने पर अनुसूची 2 में फॉर्म में नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी कारणवश विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी न रहे तत्काल ही अपने नियुक्ति प्रमाण-पत्र तथा ऐसे शस्त्रों, साज-सामान, पोशाख और ऐसी अन्य आवश्यक सामग्री को जो कि उसे अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई थी, उन्हें प्राप्त करने के लिए आदेशक (कमान्डेन्ट) ¹ [या उप-आदेशक] द्वारा शक्ति प्राप्त अधिकारी को सौंप देगा।

11. आदेशक या उप-आदेशक की सामान्य शक्तियाँ -- परिषेत्रीय अधिकारी, आदेशक या उप-आदेशक महानिरीक्षक के आदेशों के अधीन शस्त्रों, कवायद (ड्रिल), व्यायाम, अनुशासन, परस्पर संबंध, कर्तव्य के बंटवारे संबंधी सभी विषयों और उसके प्रभार के अन्तर्गत विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों और अधीनस्थ ओहदों के सदस्यों द्वारा उनके कर्तव्यों का पालन संबंधी सभी विषयों का निर्देशन और विनियमन करेगा।

12. विशेष सशस्त्र बल के सदस्यों के सामान्य कर्तव्य -- (1) विशेष सशस्त्र बल का प्रत्येक अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हमेशा कर्तव्यस्थ माना जाएगा और विशेष सशस्त्र बल का कोई भी अधिकारी तथा विशेष सशस्त्र बल अधिकारियों के किसी भी संख्या में या उनके किसी भी समूह की राज्य शासन या महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने पर उस समय तक के लिए, तब तक कि उस स्थान पर जहाँ कि उसकी सेवाएँ अपेक्षित हों, मध्यप्रदेश में या उसके बाहर, सक्रिय (एकिटव) कर्तव्य पर नियोजित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिए गए प्रत्येक निर्देश में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि वह कर्तव्य, जिस पर कि विशेष सशस्त्र बल के किसी भी अधिकारी को या ऐसे अधिकारियों को किसी भी संख्या में उनके किसी भी समूह को नियोजित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय कर्तव्य माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिया प्रत्येक निर्देश अन्तिम होगा और विशेष सशस्त्र बल के प्रत्येक संबंधित अधिकारी पर बंधनकारी होगा।

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 28 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत क्षेत्रीय कर्तव्य पर नियोजित विशेष सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या यनि विशेष सशस्त्र बल अधिकारियों को किसी भी संघर्ष में या उनके किसी समूह को इस तरह वियोजित किया गया हो तो ऐसी संघर्ष में या समूह का प्रभारी अधिकारी उनके कर्तव्यों के व्यवतारणीक पालन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी पुलिस अधिकारी, जो कि विशेष सशस्त्र बल के एक या अधिक अधिकारियों या विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों के समूह के नियोजित न होने पर उस कर्तव्य के पालन के लिए उत्तरदायी होते, अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार विशेष सशस्त्र बल के उक्त अधिकारी या विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों की किसी भी संघर्ष या समूह के प्रभारी अधिकारी को सहायता और सहयोग देंगे।

13. विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी पुलिस स्टेशन का प्रभारी माना जाएगा और वे परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी बल प्रयोग करने का हकदार होगा -- (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर क्षेत्रीय कर्तव्य पर नियोजित किए जाने पर सर्वोच्च ओहदे वाला उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी जो कि ओहदे में हेड-कांस्टेबल से कम न हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय 9 के प्रयोजनों के लिए पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा।

(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 100 और 103 में दी गई किसी बात के होते हुए भी उपयुक्त प्रकार से नियोजित विशेष सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को, स्वयं पर या विशेष सशस्त्र बल के किसी अधिकारी पर प्रहार होने की या ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति को जिसकी कि सुरक्षा करना उसका कर्तव्य हो, क्षति या हानि पहुँचाने की आशंका हो, तो वह दोषी या प्रहार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध समुचित रूप से आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा, भले ही ऐसे बल प्रयोग में दोषी या प्रहार करने वाले व्यक्ति या ऐसे दोषी या प्रहार करने वाले व्यक्ति की सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने को खतरा हो।

14. उपर्युक्तों के विपरीत पद त्याग देने से संबंधित अपराध -- यदि विशेष सशस्त्र बल का कोई अधिकारी धारा 7 का उल्लंघन करते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दे दे और ऐसे त्याग-पत्र के अनुसरण में, (त्याग-पत्र) के स्वीकार किए जाने के पूर्व कर्तव्य से अनुपस्थित रहे तो उसे अधिक से अधिक एक वर्ष का कारावास या अधिक से अधिक एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों प्रकार के दण्ड दिए जा सकेंगे।

15. नियुक्ति आदि का प्रमाण-पत्र लौटाने से इंकार करने से संबंधित अपराध -- विशेष सशस्त्र बल के ऐसे किसी भी अधिकारी को, जो कि धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसार अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र या अन्य वस्तु लौटाने में जानवृक्षकर उपेक्षा बरते या इंकार करे, अधिक से अधिक तीन माह का कारावास या अधिक से अधिक पाँच सौ रुपये का जुर्माना या दोनों ही प्रकार के दण्ड दिए जा सकेंगे।

16. अधिक जघन्य अपराध -- विशेष सशस्त्र बल का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो --

(क) कोई सैनिक विद्रोह आरम्भ करे, उसके लिए उक्साए, उसे करवाए या उसे करवाने के लिए पड़यंत्र करे या उसमें भाग ले या किसी सैनिक विद्रोह में उपस्थित होते हुए भी उसे दबाने का भरसक प्रयत्न न करे या किसी सैनिक विद्रोह या सैनिक संबंध में जानकारी होने पर या उसके अस्तित्व का सकारण विश्वास होने पर भी अपने प्रकृष्ट अधिकारी को अविलम्ब उसकी सूचना न दे; या

- (ख) अपने प्रकृष्ट अधिकारी के विरुद्ध चाहे वह कर्तव्यस्थ हो या नहीं आपराधिक बल प्रयोग करे या उसका प्रयत्न करे अथवा उस पर प्रहार करे; या
- (ग) ऐसी किसी चौकी, रक्षण स्थल (गार्ड) या सम्पत्ति को, जो कि उसके प्रभार में रखी गई हो या जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो, लज्जाजनक तरीके से छोड़ दे या सौंप दे; या
- (घ) किसी ऐसे सशस्त्र व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसके कि विरुद्ध कार्यवाही करना उसका कर्तव्य है, अपने सशस्त्र या गोला-बारूद शर्मनाक तरीके से फेंक दे या विशेष सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को या पुलिस अधिकारी को ऐसे सशस्त्र व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही न करने हेतु उकसाने के लिए जानबूझकर किन्हीं शब्दों या अन्य तरीकों का उपयोग करे या ऐसे सशस्त्र व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने से निरुत्साहित करे या जो किसी सशस्त्र व्यक्ति की उपस्थिति में कायरता या दुराचरण के लिए अन्यथा दोषी हो; या
- (ङ) शासन के विरुद्ध किसी सशस्त्र व्यक्ति से या राज्य शासन या लोक सुरक्षा के विरुद्ध षड़यंत्र करने वाले किसी व्यक्ति से या गिरफ्तार किए जाने वाले किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पत्र-व्यवहार करे या उसे गुप्त जानकारी भेजे, या उसकी सहायता करे या उसे छोड़ दे या उसकी जानकारी में आए पत्र-व्यवहार या भेजी गई गुप्त जानकारी उस समय उपस्थित अपने प्रकृष्ट अधिकारी को तत्काल न दे; या
- (च) उक्त ऐसे व्यक्ति को सशस्त्र गोला-बारूद या उपकरण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेच दे या अन्यथा रूप में उसकी व्यवस्था करे या उसे बेचने, उपहार देने या अन्यथा रूप में उसकी व्यवस्था करने के लिए सहमत हो जाए या सहायता करे या किसी ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर सहारा दे या उसकी रक्षा करे; या
- (छ) क्षेत्रीय कर्तव्य पर रहते समय --
- (1) अपने प्रकृष्ट अधिकारी के वैध समादेश का पालन न करे; या
 - (2) अपने बल या पद को छोड़ दे; या
 - (3) सन्तरी होते हुए या अन्यथा रूप से उसे रहने को कहा जाने पर, अपने स्थान पर सौता है या नियमित रूप से कर्तव्यमुक्त हुए बिना या छुट्टी लिए बिना उस स्थान को छोड़ता है; या
 - (4) किसी भी प्रयोजन के लिए प्राधिकार के बिना अपने परिक्षेत्रीय अधिकारी को छोड़कर चला जाता है; या
 - (5) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक बल का प्रयोग करता है या उस पर प्रहार करता है जिसके बारे में उसे ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि वह राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहा है और उसके विरुद्ध कार्यवाही करना उसका कर्तव्य है या बिना प्राधिकार के किसी मकान या अन्य स्थान को लूटने के लिए या किसी अवैध प्रयोजन से उसमें जबरदस्ती घुसता है या किसी प्रकार की सम्पत्ति को जानबूझकर तथा अनावश्यक रूप से लूटता, नष्ट करता या हानि पहुँचाता है; या
 - (6) जानबूझकर किसी कार्यवाही में या शिविर, गैरीजन या क्वार्टरों में झूठे खतरे का संकेत देता या फैलाता है, तो उसे अधिक से अधिक चौदह वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण -- विशेष सशस्त्र बल के किसी अधिकारी ने अपना बल छोड़ दिया है यह तब समझा जाएगा यदि वह अपने प्रकृष्ट अधिकारी की अनुमति लिए बिना अपने कर्तव्य स्थान या नियुक्ति स्थान को छोड़ दे और उसने अपना पद छोड़ दिया है, यह तब समझा जाएगा यदि वह किसी पहरे, गश्त, विशेष स्थल, इमारत, यान का या अन्य स्थान को छोड़ दे जहाँ या जिसमें उसके प्रकृष्ट अधिकारी ने उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन करने के लिए विशेष रूप से आदेश दिया हो।

17. कम जघन्य अपराध -- विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी जो --

- (क) किसी सन्तरी पर प्रहार करता है या दाण्डिक बल का प्रयोग करता है या प्रयोग करने का प्रयत्न करता है; या
- (ख) किसी रक्षक दल, पिकेट या गश्त के कमान में होते हुए उसके प्रभार में अवैध रूप में सौंपे गए किसी कैदी या व्यक्ति को अपने अधिकार में लेने से इन्कार करता है या ऐसे कमान में होते हुए या न होते हुए उचित प्राधिकार के बिना किसी कैदी या व्यक्ति को मुक्त कर देता है या अपनी असावधानी से किसी कैदी या व्यक्ति को भाग जाने देता है; या
- (ग) किसी रक्षक दल, पिकेट या गश्त के कमान में होते हुए ऐसे रक्षक दल, पिकेट या गश्त के किसी व्यक्ति को जुआ खेलने दे या सुव्यवस्था तथा अनुशासन के प्रतिकूल कोई अन्य व्यवहार करने दे; या
- (घ) गिरफ्तार होने या कैद में होने पर गिरफ्तारी या कैद से वैध प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र किए जाने के पहले निकल जाए; या
- (ङ) अपने पद संबंधी कार्यों का पालन करने में अपने प्रकृष्ट अधिकारी के प्रति घोर अवज्ञा या अपमान का व्यवहार करता हो; या
- (च) अपने प्रकृष्ट अधिकारी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करता हो या उसकी हँसी उड़ाता हो या उसे मौखिक या लिखित रूप में अप्रतिष्ठाकारी शब्दों से संबोधित करता हो; या
- (छ) क्वार्टरों में या मैदान में, आदेशित किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने में या उसे निष्पादित करते समय उस पर देख-रेख या उसमें सहायता करने से इन्कार करता हो; या
- (ज) विशेष सशस्त्र बल के किसी ऐसे अधिकारी पर प्रहार करता है या अन्यथा रूप से दुर्व्यवहार करता है, जिसका कि वह प्रकृष्ट अधिकारी हो; या
- (झ) अपने शस्त्रों, पोशाखों, औजारों, उपकरणों, गोला-बारूद, साज-सामान (एकाइट्रेमेन्ट्स) या उसके पद संबंधी कार्य करने के लिए उसे दी गई अन्य आवश्यक वस्तुओं या उसे या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपी गई ऐसी वस्तुओं को जानबूझकर या उपेक्षा बरतकर नुकसान पहुँचाए या खोदे या धोखे से या यथोचित प्राधिकार के बिना बेच दे; या
- (ञ) रोगी होने के ढोंग करता हो, बहाना करता हो या अपने में कोई बीमारी या कमजोरी पैदा करता हो या जानबूझकर अपने उपचार में देर लगाता हो या अपनी बीमारी या कमजोरी बढ़ाता हो; या
- (ट) स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को कर्तव्य के लिए अयोग्य करने के इरादे से स्वेच्छा से स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता हो; या
- (ठ) बलपूर्वक ऐंठ लेता हो या वैध प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति से यान दुलाई किराया या सामान ऐंठ लेता हो; या

(ड) जानबूझकर या उपेक्षा कर किसी पशु के साथ तुच्छत्वहार करे, उसे चोट पहुँचाए या मार डाले या लोक सेवा के उपयोग में लाए जाने वाले किसी पशु या यान को तुकसान पहुँचाए या खो दे या उसे चुराकर ले जाए तो

[बह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

18. विशेष सशस्त्र बल का अधिकारी जो कमान में हो अपने प्रभार के विशेष बल के किसी अधिकारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किए जाने की सूचना देगा -- विशेष सशस्त्र बल का कोई अधिकारी जो किसी रक्षक दल गश्त या टुकड़ी की कमान में होते हुए अपने कमान के विशेष दल के किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से धारा 16 या धारा 17 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने या करने की साजिश को जानते हुए जानबूझकर या समुचित कारण बतलाए बिना जिसे सिद्ध करने का भार उस पर ही होगा ऐसे अपराध के किए जाने या साजिश की जानकारी अपने प्रकृष्ट अधिकारी को न दे तो । [बह कठोर कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम की न होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।]

19. कारावास का स्थान और कारावास होने पर पदच्युत कर दिया जाना -- (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत कारावास का दण्ड दिए गए प्रत्येक को विशेष सशस्त्र बल से पदच्युत किया जा सकेगा और उसका बेतन भत्ता उसको देय अन्य कोई रकम तथा साथ ही साथ उसके द्वारा प्राप्त किए गए किन्हीं भी पद को तथा तमगों को भी जब्त किया जा सकेगा ।

(2) इस प्रकार पदच्युत प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट कारागार में कैद रखा जाएगा किन्तु यदि उसे विशेष सशस्त्र बल से पदच्युत न किया जाए और यदि न्यायालय इस प्रकार निदेश दे तो उसे क्वार्टर गारद या ऐसे अन्य स्थान में जैसा कि न्यायालय उचित समझे कैद रखा जाएगा ।

20. असंतोष आदि फैलाने पर शास्ति (दण्ड) -- (1) जो भी कोई व्यक्ति विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों के बीच भारत में विधिवत शासन के प्रति जानबूझकर असंतोष फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या जानते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे असंतोष फैलाने की संभावना हो या विशेष सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को अपनी सेवाएँ रोक देने के लिए उकसाता या उकसाने का प्रयत्न करता है या जानते हुए ऐसा कार्य करता है कि जिससे सेवाएँ रोक दिए जाने की संभावना हो या अनुशासन भंग होता हो तो उसे 2[ऐसे कारावास का जो एक माह से कम न होगा छः माह तक का हो सकेगा तथा जुमनि का जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्ड दिया जाएगा ।]

(2) सद्भाव से किया गया कोई भी कार्य इस धारा के अन्तर्गत अपराध नहीं माना जाएगा जो कि --

(क) विशेष सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के कल्याण या हित की अभिवृद्धि के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी भी तरीके से उसे अपनी सेवाएँ रोक देने के लिए उकसाता हो, या

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1981 द्वारा प्रतिस्थापित जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5.5.1981 पृष्ठ 931-932 पर प्रकाशित हुआ ।
2. उक्त धारा में यह संशोधन म.प्र. विशेष बल (संशोधन) अधिनियम, 1979 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 30.11.1979 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया ।

(ख) विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों के हितों की अभिवृति के प्रयोजन हेतु गठित किसी ऐसे संघ द्वारा या उसकी ओर से किया गया जो कि शासन द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त हो और इस एकत्र किया गया कार्य शासन द्वारा संघ के अनुमोदित उद्देश्यों या नियमों के अन्तर्गत किया गया हो।

21. घौषण दण्ड (Minor Punishment) -- (१) आवेदक (कमान्डेन्ट) अथवा [आदेशक] या उप-आदेशक, [आदेशक या यथास्थिति आदेशक या उप-आदेशक के नियंत्रण के अधीन सहायक आदेशक (असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट) अथवा विहित किया जाने वाला अन्य अधिकारी समुचित और पर्याप्त कारणों से हेड कॉम्टेंटल के ओहडे के अधीनस्थ या कम ओहडे के किसी भी सदस्य को, जो कि उसके प्राधिकार के अधीन हो अनुशासन संबंधी किए गए किसी भी अपराध के लिए जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो या जो यथास्थिति आदेशक या उप-आदेशक, सहायक आदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी की राय दाखिलक न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाए जाने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर स्वरूप की न हो सिम्मतिखित में से कोई भी दण्ड न दे सकेगा, अर्थात् --]

(क) जब आदेश, आदेशक या उप-आदेशक द्वारा किया गया हो तो 15 दिन तक या जब यह आदेश किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो 7 दिन तक अवधि के लिए क्वार्टर गार्ड या उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य स्थान में बंद कर रखना, इस प्रकार बंद किए जाने पर बंदीकरण की अवधि का सम्पूर्ण वेतन और भत्ते उस स्थिति में जब्त किए जाएंगे जब इस आशाय का कोई आदेश दण्ड देने वाले अधिकारी द्वारा दिया हो परन्तु आदेशक या उप-आदेशक के ओहडे से कम ओहडे का कोई भी अधिकारी वेतन और भत्तों की जप्ती संबंधी आदेश नहीं देगा।

(ख) जब आदेश, आदेशक या उप आदेशक द्वारा दिया गया हो तो अट्ठाईस दिन तक और जब आदेश किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो सात दिन तक की अवधि के लिए दण्ड स्वरूप ड्रिल, अधिक समय तक पहरा देना या थका देने वाला (दलेल) या अन्य प्रकार कार्य का करवाना।

(2) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई दण्ड पृथक् रूप से या अन्य दण्डों में से किसी एक या अधिक दण्डों के साथ दिया जा सकेगा परन्तु हमेशा ही लाइन्स के बाहर न जाने देने की अवधि लगातार पन्द्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।

(3) जबकि आदेशक या उप आदेशक या सहायक आदेशक या अन्य अधिकारी उपधारा (१) के अन्तर्गत कोई आदेश दे तो वह उक्त प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में साक्षियों के नाम दोषी के स्पष्टीकरण और दण्ड देने के आदेश सहित दोषों का संक्षिप्त विवरण लिखेगा और ऐसे प्रत्येक आदेश पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा।

22. प्रयास -- विशेष सशस्त्र बल के ऐसे किसी भी अधिकारी को जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध करने का प्रयास करे या ऐसा अपराध करवाए और ऐसे प्रयासों में अपराध किए जाने संबंधी कोई कार्य करे ऐसे अपराध के लिए अधिनियम में उपबंधित दण्ड दिया जा सकेगा।

23. उक्साना -- विशेष सशस्त्र बल के किसी भी अधिकारी को जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी भी अपराध के लिए उक्साता हो ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड दिया जा सकेगा।

¹[23-क. अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे -- (1) इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी न्यायालय द्वारा कोई भी जमानत तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अभियोजन को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]

24. अपराध का संज्ञान -- (1) कोई भी न्यायालय केवल पुलिस महानिरीक्षक अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य पुलिस अधिकारी की जो ²[आदेशक या उप आदेशक] के ओहदे से कम का न हो पूर्व मंजूरी से या उसके द्वारा शिकायत करने पर ही इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध की न्याय जांच नहीं करेगा।

³[24-क. अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे -- (1) इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

(2) किसी न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन कोई जमानत तब तक मंजूर नहीं की जाए जब तक कि अभियोजन को उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]

25. अन्य विधियों के अन्तर्गत अभियोजन संबंधी अपवाद -- इस अधिनियम की कोई भी बात उसके अन्तर्गत दण्डनीय किसी भी कार्य अथवा चूक के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य अधिनियमिति या किसी अन्य अधिनियमिति के अन्तर्गत किसी भी आदेश या बनाए गए नियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाए जाने से अथवा यदि इस प्रकार अभियोजन चलाया गया हो तो उक्त कार्य अथवा चूक के लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंधित शास्ति के अलावा किसी अन्य शास्ति या उससे अधिक शास्ति का भागी होने से नहीं रोकेगी, परन्तु किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दो बार दण्ड नहीं दिया जाएगा।

26. बल के सदस्यों के कार्य के लिए संरक्षण -- (1) किसी सक्षम प्राधिकारी के वारंट या आदेश के अनुसरण में विशेष सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए किसी भी कार्य के उसके विरुद्ध चलाए गए किसी भी वाद या कार्यवाही में उसके लिए ऐसी दलील देना विधि संगत होगा कि उसके द्वारा ऐसा कार्य ऐसे वारंट या आदेश के प्राधिकार के अन्तर्गत किया गया था।

(2) ऐसी कोई भी दलील, कार्य निर्देशित करने वाला वारंट या आदेश प्रस्तुत करके प्रमाणित की जा सकेगी और वह बात इस प्रकार प्रमाणित कर दिए जाने पर उक्त बल का वह सदस्य ऐसे प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में किसी दोष के होते हुए भी जिसने वह वारंट या आदेश दिया था उसके द्वारा इस प्रकार किए गए कार्य संबंधी दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

(3) उस समय लागू किसी भी अन्य विधि में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत की गई या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी भी बात के लिए विशेष सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य के

1. उक्त धारा म.प्र. विशेष सशस्त्र बल (संशोधन) अधिनियम, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित की गई जो राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 30.11.1979 को प्रकाशित हुआ।
2. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 28 सन् 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1981 द्वारा अन्तःस्थापित की गई जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 5.5.1981 पृष्ठ 931-932 पर प्रकाशित हुई।

विरुद्ध विधितः चलाई जा सकने वाली कोई भी वैधिक कार्यवाही चाहे वह सिविल कार्यवाही हो या दाखिल ऐसा कार्य जिसकी कि शिकायत की गई थी किए जाने के बाद तीन माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी अन्यथा नहीं और ऐसी कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने के कम से कम एक माह पूर्व ऐसी कार्यवाही और उसके कारण की लिखित सूचना प्रतिवादी या उसके प्रकृष्ट अधिकारी को दी जाएगी :

परन्तु ऐसी कार्यवाहियाँ राज्य शासन की मंजूरी से ऐसा कार्य जिसकी शिकायत की गई थी किए जाने के बाद किसी भी समय प्रारंभ की जा सकेगी ।

27. नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से असंगत न हो ।

(2) **विशेषतः** और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए व्यवस्था की जा सकेगी अर्थात् --

- (क) विशेष सशस्त्र बल की संख्या, वर्गों और श्रेणियों के लिए;
 - (ख) विशेष सशस्त्र बल के प्रशासन के लिए;
 - (ग) अधीनस्थ ओहदों के सदस्यों की भर्ती, संगठन, वर्गीकरण और अनुशासन के लिए;
 - (घ) बल के निरीक्षण के लिए;
 - (ङ) बल के सिपाहियों को दिए जाने वाले शस्त्रों का प्रकार और मात्रा, साज-सामान, पोशाख और अन्य आवश्यकताओं के लिए;
 - (च) किसी भी अन्य विषय के लिए जिसे निर्धारित करना हो या जो निर्धारित किया जा सकता हो ।
- (3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए सभी नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे ।

28. कठिनाइयाँ दूर करना -- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई हो तो राज्य शासन आदेश द्वारा कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक वांछनीय प्रतीत होने वाली कोई भी ऐसी बात कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

29. निरसन -- मध्यभारत विशेष सशस्त्र बल विधान, संवत् 2007 (मध्यभारत स्पेशलआर्ड फोर्स एक्ट संवत् 2007) (क्रमांक 75 सन् 1950) तथा दि राजस्थान आर्ड कांस्टेबुलरी एक्ट, 1950 (राजस्थान सशस्त्र आरक्षी बल अधिनियम, 1950) (क्रमांक 12 सन् 1950), जहाँ तक कि वह सिरोंज क्षेत्र से संबंधित है, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं ।

अनुसूची-1

(धारा 7 देखिए)

**मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल में पद ग्रहण करने से पूर्व
हस्ताक्षर किए जाने वाला घोषणा-पत्र**

मैं (पूरा नाम) पुलिस बल के सदस्य के मामले में
पद नाम/सीधी भर्ती के मामले में पता घोषणा करता हूँ :-

(1) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल में जहाँ कहाँ भी मुझे नियुक्त किया जाए, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ,

(2) मैं तब तक मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल में अपनी नियुक्ति से त्याग-पत्र देने का या अन्य किसी पुलिस बल में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने का हकदार नहीं रहूँगा, जब तक कि मैं मध्यप्रदेश सशस्त्र बल में सेवा की निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर लूँ, और

(3) मैं इस सेवा की निर्धारित अवधि को पूरा करने के पश्चात् भी अपनी नियुक्ति से पद त्याग या उपरोक्त खंड (2) में निर्दिष्ट तरीके से स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने का हकदार नहीं रहूँगा, यदि मैं उस तारीख को क्षेत्रीय कर्तव्य पर रहूँ या यदि यथास्थिति मेरे त्याग-पत्र या स्थानान्तरण से मेरे दल की पद रिक्तियाँ दल की मंजूरी की गई उस प्रतिशत संख्या से अधिक हो जाए जो कि उस समय राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई है।

(4) नियुक्ति से मेरे द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने की दशा में मैं उस दिनांक तक कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहूँगा जिससे कि त्याग-पत्र स्वीकार किया जाए।

(उपर्युक्त घोषणा घोषक को पढ़कर सुना देने

तथा समझा देने और उसे समझ लेने तथा

स्वीकार कर लेने के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर।)

दिनांक

स्थान

मेरा यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि (पूरा नाम) (पुलिस बल के सदस्य के मामले में पदनाम/सीधी भर्ती के मामले में पूरा पता) ने घोषणा समझ ली है और स्वीकार कर ली है तथा उस पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षर

उस अधिकारी का पदनाम जिसके समक्ष घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

परिक्षेत्रीय अधिकारी/आदेशक/उप आदेशक/
सहायक आदेशक/एड्जुटेन्ट अथवा पुलिस अधिकारी

दिनांक

स्थान

अनुसूची-2

(धारा 10 देखिए)

प्रमाण-पत्र का फॉर्म

श्री :..... मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल में नियुक्त किए गए हैं और मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968 (1968 का क्रमांक 29), के अन्तर्गत विशेष सशस्त्र बल के अधिकारी की शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार सौंपे गए हैं।

हस्ताक्षर

नियुक्ति प्राधिकारी

